राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 5508/2022

रतन लाल बंशीवाल **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. जिला कलेक्टर, दौसा (राज.)।
3. अतिरिक्त जिला कलेक्टर, दौसा (राज.)।
4. सब डिवीजनल अधिकारी, नांगल राजावतान, जिला दौसा (राज.)।
5. सुधीर कुमार जैन, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, उप विभागीय कार्यालय, लवान, जिला दौसा (राज.) कार्यरत।
6. त्रिवेणी श्याम शर्मा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कलेक्टर दौसा, जिला दौसा (राज.) कार्यरत।
7. देवेन्द्र कुमार शर्मा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, तहसील रहूवास, प्रतिनियुक्ति कलेक्टर दौसा (राज.) कार्यरत।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 19.10.2022

आदेश की दिनांक : 04.04.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री अंशुमान सक्सेना, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री सुनील कुमार ओझा, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 13.10.2022 को अपास्त फरमाया जावे और वरिष्ठता सूची पर पुनः विचार करते हुये वरिष्ठता सूची वर्ष 2013–14 में वरिष्ठता पर अपीलार्थी के नाम पर विचार किया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर तहसील नांगल राजावतान, जिला दौसा में कार्यरत है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति एलडीसी के पद पर दिनांक 09.04.1996 को हुई थी और वर्ष 2017–18 में अपीलार्थी यूडीसी के पद पर पदोन्नत किया गया और वर्तमान में अपीलार्थी सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर जिला दौसा में कार्यरत है। अपीलार्थी ने हमेशा संतोषजनक सेवायें दी और 26 वर्ष से अपीलार्थी की एसीआर अच्छी रही है और इस प्रकार अपीलार्थी अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति योग्य है। परंतु उक्त पदोन्नति के संबंध में अपीलार्थी की वरिष्ठता पर विचार नहीं किया गया। जबकि अपीलार्थी वरिष्ठता में ऊपर है और वर्ष 2022–23 के लिये दिनांक 27.07.2022 को डीपीसी आयोजित की गई। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा 15 कार्मिकों की वरिष्ठता सूची जारी की गई, जिसमें नियुक्ति तिथी भी अंकित की गई। जिला कलेक्टर, दौसा द्वारा आदेश दिनांक 26.05.2022 जारी किया गया, जिसमें 24 कार्मिकों की वरिष्ठता सूची जो वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति तिथी के अनुसार वरिष्ठ हैं, की वरिष्ठता सूची जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम भी क्रम संख्या 23 पर अंकित किया गया, जोकि अपीलार्थी का नाम बहुत नीचे दर्शाया गया और वर्ष 2013–14 के लिये जूनियर क्लर्क की अंतिम वरिष्ठता सूची जारी की गई, जिसमें नियुक्ति तिथी के अनुसार जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 12 पर अंकित किया गया और निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 व 6 का नाम क्रम संख्या 22 एवं 28 पर दर्शाया गया और भी कई कार्मिक जो वरिष्ठ थे, उनको कनिष्ठ दर्शाया गया। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 13.09.2013 जिसमें अलग–अलग दिशा–निर्देश दिये गये, जिसमें पैरा संख्या 3, 4 एवं 5 में यह उल्लेख किया गया कि जो कार्मिक आरक्षित वर्ग का है और नियुक्ति तिथी के अनुसार पदोन्नति के योग्य है, उन्हें पदोन्नति में प्राथमिकता दी जानी चाहिये। परंतु अपीलार्थी के नाम पर वरिष्ठता के संबंध में नियमानुसार विचार नहीं किया गया, जो नियम विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 13.10.2022 को अपास्त फरमाया जावे और वरिष्ठता सूची पर पुनः विचार करते हुये वरिष्ठता सूची वर्ष 2013–14 में वरिष्ठता पर अपीलार्थी के नाम पर विचार किया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति कनिष्ठ सहायक के पद पर दिनांक 09.04.1996 को शिक्षा विभाग, उदयपुर में हुई थी और स्वयं की प्रार्थना के आधार पर अपीलार्थी का स्थानान्तरण कलेक्ट्रेट दौसा में हुआ, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 10.05.1999 को कार्यग्रहण किया। परंतु राजस्थान अधीनस्थ लिपिक वर्गीय स्थापन नियम, 1957 के नियम 27 के उप नियम (xi-क) के अनुसार नियम 27 के मूल भाग में किसी विपरीत बात के होते हुये भी यदि कोई व्यक्ति इन नियमों के नियम 6, उप नियम 2 में वर्णित किसी विभाग में कोई पद धारण किये हुये है और एक विभाग से दूसरे विभाग में समान पद पर संबंधित संवर्ग में स्वयं की ईच्छा पर नियम 7 के उप नियम (1) के परंतुक (1) के अनुसार स्थानान्तरित कर दिया गया हो, तो ऐसे व्यक्ति की पारस्परिक वरिष्ठता उस विभाग के व्यक्तियों के साथ जहां वह स्थानान्तरित होकर आया है, उस दिन से निर्धारित की जावेगी और इस प्रकार अपीलार्थी की वरिष्ठता की गणना विभाग के कार्यालय में स्वयं की प्रार्थना पर स्थानान्तरण पश्चात् कार्यग्रहण की दिनांक से गणना करते हुये की जावेगी। अपीलार्थी के दिनांक 01.06.2002 से पूर्व एक संतान एवं दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् दो संतान हैं और इस प्रकार की कुल 3 संतान है और इस प्रकार अपीलार्थी को वर्ष 2014—15 में वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति हेतु पात्र होने पर भी अपीलार्थी के नाम पर विचार नहीं करते हुये अपीलार्थी की पदोन्नति को कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.06.2001 यथा संशोधित दिनांक 19.02.2017 के क्रम में तीन भर्ती वर्षों के लिये अग्रेषित करते हुये अपीलार्थी को वर्ष 2017—18 में वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति दी गई है और सहायक प्रशासनिक अधिकारी से अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिये सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद का 2 वर्ष का अनुभव अनिवार्य है और आदेश दिनांक 26.05.2022 के द्वारा कार्यरत सहायक प्रशासनिक अधिकारियों की वर्ष 2022—23 की प्रकाशित अंतरिम वरिष्ठता सूची में अंकित सभी 24 कार्मिक पदोन्नति हेतु पात्र नहीं हैं और इस प्रकार अपीलार्थी के पास सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद का 2 वर्ष का अनुभव पूर्ण नहीं होने के कारण अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद हेतु पदोन्नति योग्य नहीं पाया गया। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर तहसील नांगल राजावतान, जिला दौसा में कार्यरत है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति एलडीसी के पद पर दिनांक 09.04.1996 को हुई थी और वर्ष 2017–18 में अपीलार्थी यूडीसी के पद पर पदोन्नत किया गया और वर्तमान में अपीलार्थी सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर जिला दौसा में कार्यरत है। जहां तक अपीलार्थी को वरिष्ठता सूची दिनांक 13.10.2022 में अपीलार्थी के नाम पर विचार नहीं किये जाने का प्रश्न है, हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत हैं कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति कनिष्ठ सहायक के पद पर दिनांक 09.04.1996 को शिक्षा विभाग, उदयपुर में हुई थी और स्वयं की प्रार्थना पत्र के आधार पर अपीलार्थी का स्थानान्तरण कलेक्ट्रेट दौसा में हुआ, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 10.05.1999 को कार्यग्रहण किया। राजस्थान अधीनस्थ लिपिक वर्गीय स्थापन नियम, 1957 के नियम 27 के उप नियम (xi-क) के अनुसार नियम 27 के मूल भाग में किसी विपरीत बात के होते हुये भी यदि कोई व्यक्ति इन नियमों के नियम 6, उप नियम 2 में वर्णित किसी विभाग में कोई पद धारण किये हुये है और एक विभाग से दूसरे विभाग में समान पद पर संबंधित संवर्ग में स्वयं की ईच्छा पर नियम 7 के उप नियम (1) के परंतुक (1) के अनुसार स्थानान्तरित कर दिया गया हो, तो ऐसे व्यक्ति की पारस्परिक वरिष्ठता उस विभाग के व्यक्तियों के साथ जहां वह स्थानान्तरित होकर आया है, उस दिन से निर्धारित की जावेगी और इस प्रकार अपीलार्थी की वरिष्ठता की गणना विभाग के कार्यालय में स्वयं की प्रार्थना पर स्थानान्तरण पश्चात् कार्यग्रहण की दिनांक से गणना करते हुये की जावेगी। अपीलार्थी के दिनांक 01.06.2002 से पूर्व एक संतान एवं दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् दो संतान हैं और इस प्रकार की कुल 3 संतान है और इस प्रकार अपीलार्थी को वर्ष 2014–15 में वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति हेतु पात्र होने पर भी अपीलार्थी के नाम पर विचार नहीं करते हुये अपीलार्थी की पदोन्नति को कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.06.2001 यथा संशोधित दिनांक 19.02.2017 के क्रम में तीन भर्ती वर्षों के लिये अग्रेषित करते हुये अपीलार्थी को वर्ष 2017–18 में वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति दी गई है और अनुलग्नक–2 दिनांक 26.05.2022 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर रिक्ति वर्ष 2021–22 के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान की गई है और अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद का 2 वर्ष का अनुभव होना

अनिवार्य है, जो अपीलार्थी के पास 2 वर्ष का उक्त अनुभव पूर्ण नहीं है, जिसके कारण अपीलार्थी अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिये पात्र नहीं होने के कारण उसके नाम पर विचार नहीं किया गया। अतः अपीलार्थी के उक्त तर्कों में कोई बल न होने के कारण अपील खारिज फरमाये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य